राजस्व लोक अदालत ''न्याय आपके द्वार'' कैम्प 2015 ग्राम पंचायत छापली
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- ग्राम पचायत छापली

प्रकरण सं – 25/2011 रे०वा०

निर्णय दिनाक –29.06.2015

अनवान

1. श्रीमति सोहनीदेवी पत्नि चुनीसिंह रावत निवासी कचौलिया छापली तहसील भीम

वादी

बनाम

1. श्री किसना उर्फ किशनसिंह पिता मालसिंह जाति रावत निवासी मामाजी का खाखरा तहसील भीम
2. श्री भूरा पिता मालसिंह जाति रावत निवासी मामाजी का खाखरा तहसील भीम
3. श्री रूपसिंह पिता मालसिंह जाति रावत निवासी मामाजी का खाखरा तहसील भीम
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीम

प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 आरटीए

यह कि ग्राम ढाणा पटवार हल्का छापली तहसील भीम में निम्न कृषि भूमि आई हुई है।

खसरा नं.	रकबा		
	बीघा	विस्वा	विस्वांसी
7732	00	03	05
7733	00	06	10
7734	00	03	00
7735	00	10	00
7736	00	03	10
7737	00	06	10
7738	00	02	10
7739	00	03	00
7740	00	06	00
7741	00	10	00
7742	00	08	00
7743	00	11	00
7744	00	10	10
7745	08	15	00
7746	00	04	10
कुल किता 15 रकबा 13 बीघा 03 विस्वा 05 विस्वांसी			

यह कि उक्त वर्णित आराजी में वादीगण का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 3/4 हिस्सा है व वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर निरन्तर शान्तिपूर्वक काश्त करते कराते चले आ रहे है। उक्त वर्णित आराजियात का प्रतिवादीगण व उसके भाई कालूसिंह के मध्य के निम्न हिस्सा आया था:–

खसरा नं.	रकबा			
	बीघा	विस्वा	विस्वांसी	
7732	00	03	05	सम्पूर्ण
7733	00	06	10	सम्पूर्ण
7734	00	03	00	सम्पूर्ण
7735	00	10	00	में से चौथा हिस्सा पश्चिम दिशा की तरफ का।
7739	00	03	00	सम्पूर्ण
7740	00	06	00	सम्पूर्ण
7745	08	15	00	में से चौथा हिस्सा पश्चिम दिशा की तरफ का।

उक्त बंटवारा में कालूसिंह का हिस्सा आया था व उक्त हिस्से का कालूसिंह द्वारा जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय विलेख द्वारा वादीगण को बेचान कर दिया गया था व उस अनुसार वादीगण उक्त हिस्से पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे थे व उसका ही उक्त हिस्से पर कब्जा है।

उक्त भाईयो के बंटवारा किया उसकी लिखतम भी सभी भाईयो ने लिखकर रखी है उसी लिखतम के आधार पर सभी अपने–अपने हिस्से पर काबिज उपयोग उपभोग कर रहे है।

अतः वादी का वादपत्र न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प छापली** मे पेश हुआ वादी एवं प्रतिवादीगणो को आपसी समझाईश कर आपसी राजीनामें से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

पालना हेतु तहसीलदार भीम को लिखा जाकर मौके पर काबिज अनुसार बंटवारा तरमीम किया जाकर पालना से अवगत करावे।

सहायक कलक्टर एवं
पीठासीन अधिकारी, भीम
उपखण्ड अधिकारी
राजसमन्द

Scanned by CamScanner